राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
93/2023	28.03.2023	13.07.2024

उनवान

1. रामकवार पुत्र छोटेलाल जाति अहीर निवासी महतावास हाल तह0 माढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब हाल तह0 मॉढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

प्रतिवादी

दावा– दुरूस्ती इन्द्राज एवं हु0इ0 दवामी

उपस्थिति:

1. श्री मनीष यादव –वकील वादी।
2. पैरोकार सरकार

–: निर्णय:– दिनांक 13.07.2024

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख.नं. 614, 650, 1333, 1338, 1339, 1473, 1474, 1475/1570, 1476, 1507, 1509, 1545, 1554, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 639, 893 वाके ग्राम महतावास हाल तहसील मॉढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित होकर वादी की सहखातेदारी की आराजी है विवादित आराजी कहलायेगी। वादी का यही व वास्तविक नाम तथा वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम छोटेलाल है, लेकिन गांव मे वादी व वादी के पिता को क्रमशः रामकुमार व छोटन के नाम से भी पुकारते थे। वादी व वादी के पिता का नाम आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक , मृत्यु प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत महतावास द्वारा दिनांक 12.02.2023 मे जारी प्रमाण पत्र मे रामकवार पुत्र छोटेलाल ही नाम दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से हाल जमाबंदी मे वादी का नाम कही रामकुमार तो कही वादी के पिता का नाम छोटन दर्ज कर दिया। उक्त गलत नाम की अब वादी द्वारा प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाली राशी के लिए आवेदन करने पर जानकारी हुई। जिस पर पटवारी हल्का से मिलने पर उन्होंने बताया कि दुरूस्ती तहसीलदार साहब ही करेगे और जब तहसीलदार साहब नीमराना से समस्त दस्तावेजात के साथ मिला तो तहसीलदार साहब ने अवगत कराया कि उक्त दुरूस्ती राजस्व न्यायालय मे वाद दायर कर दुरूस्त करवाओं। इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। आराजी मुतनाजा के हाल राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त गलत इन्द्राजात के दर्ज होने से वादी के हक हकूक प्रभावित होते है ऐसी सूरत मे आराजी ख.नं. हाल 614, 650 वाके ग्राम महतावास के काश्तकार का नाम वाले कॉलम में खातेदार संख्या 11 रामकुमार पुत्र छोटेलाल दुरूस्त किया जाकर रामकवार पुत्र छोटेलाल किये जाने की घोषणा फरमाई जावे व इसी प्रकार हाल ख.नं. 1333, 1338, 1339, 1473, 1474, 1475/1570, 1476, 1507, 1509, 1545, 1554, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 639, 893 वाके ग्राम महतावास हाल तह0 मॉढण के काश्तकार का नाम वाले कॉलम में खातेदार संख्या 13 रामकुवार पुत्र छोटन दुरूस्त किया जाकर रामकुवार पुत्र छोटेलाल किये जाने की घोषणा फरमाई जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद विधिवत तलबी प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत आकर जवाब सरकार पेश किया। उक्त प्रस्तुत जवाब का सारतः रहा कि रिपोर्ट हक्ला पटवारी मुताबिक नाम शुद्ध किया जाना उचित है प्रकरण मे कोई राजहित प्रभावित नही है अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद मे दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2074–77 जमाबंदी 2076(वर्ष 2019) किता 02, ग्राम पंचायत महतावास का दिनांक 12.02.2023 मे जारी प्रमाण पत्र पेश किया जिसके मुताबिक रामकंवार उर्फ रामकुमार पुत्र

छोटन उर्फ छोटेलाल जाति अहीर ग्राम महतावास के है ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है तथा ग्राम महतावास मे इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नही है तथा इनका सही नाम रामकंवार पुत्र छोटेलाल है इसे दुरूस्त करने पर ग्राम पंचायत महतावास मे किसी को कोई आपत्ति नही है अंकित कर पेश है एंव आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक व छोटेलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वकुलाय की वादपत्र के बावत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनो को दोहराते हुए वादी द्वारा अपने वादपत्र की ताईद मे साक्ष्य स्वरुप नकल जमाबंदी संवत 2074–77 जमाबंदी 2076(वर्ष 2019) किता 02, ग्राम पंचायत महतावास का दिनांक 12.02.2023 मे जारी प्रमाण पत्र पेश किया जिसके मुताबिक रामकंवार उर्फ रामकुमार पुत्र छोटन उर्फ छोटेलाल जाति अहीर ग्राम महतावास के है ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है तथा ग्राम महतावास मे इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नही है तथा इनका सही नाम रामकंवार पुत्र छोटेलाल है इसे दुरूस्त करने पर ग्राम पंचायत महतावास मे किसी को कोई आपत्ति नही है अंकित कर पेश है एंव आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक व छोटेलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां पेश की है एंव पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार मे भी नाम शुद्व किया जाना उचित है अभिशंषा करते हुए प्रकरण मे कोई राजहित प्रभावित नही है अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है। इस प्रकार से वादी द्वारा अपने वाद पत्र को सुसंगत एंव दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पूर्ण रूप से साबित कर दिया है कथन करते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। ठीक इसी प्रकार पैरोकार सरकार ने भी दौराने बहस वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है जिससे प्रकरण मे कोई राजहित प्रभावित नही होता है अभिकथन करते हुए सहमति व्यक्त की।

वकुलाय की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एंव पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन करने के बाद उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी ख.नं. 614, 650, 1333, 1338, 1339, 1473, 1474, 1475/1570, 1476, 1507, 1509, 1545, 1554, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 639, 893 वाके ग्राम महतावास हाल तहसील मॉढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के बावत के वाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एंव आराजी ख.नं. हाल 614, 650 वाके ग्राम महतावास के काश्तकार का नाम वाले कॉलम में अंकित वादी का नाम रामकुमार पुत्र छोटेलाल को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एंव इसके स्थान पर रामकवार पुत्र छोटेलाल दर्ज किये जाने एंव हाल ख.नं. 1333, 1338, 1339, 1473, 1474, 1475/1570, 1476, 1507, 1509, 1545, 1554, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 639, 893 वाके ग्राम महतावास हाल तह0 मॉढण के काश्तकार का नाम वाले कॉलम मे वादी का अंकित नाम रामकुवार पुत्र छोटन को हजफ किये जाने के ओदश दिये जाते है एंव इसके स्थान पर रामकुवार पुत्र छोटेलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन रहेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमेआम मे सुनाया गया।

13.07.2024

(पंकज बड़गूजर)
उपखण्ड अधिकारी, नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

30/7/2024 आज शुद्धि पत्र धारा 152 ज़ा.दी. पेश होकर कोर्ट विदित हुआ कि स्वीकार होने पर उक्त निर्णय के आदेश पैरा में रामकुंवार पुत्र छोटेलाल अंकित के स्थान पर रामकंवार पुत्र छोटेलाल पढ़ा जावे शेष निर्णय यथावत प्रभावी रहेगा के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
93/2023	28.03.2023	13.07.2024

उनवान

1. रामकवार पुत्र छोटेलाल जाति अहीर निवासी महतावास हाल तह0 माढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब हाल तह0 मॉढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

प्रतिवादी

दावा– दुरूस्ती इन्द्राज एवं डु0इ0 दवामी

पर्चा डिक्री

वादी की ओर से श्री मनीष यादव अधिवक्ता एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 13.07.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और पर्चा डिक्री दी जाती है कि:–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी ख.नं. 614, 650, 1333, 1338, 1339, 1473, 1474, 1475/1570, 1476, 1507, 1509, 1545, 1554, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 639, 893 वाके ग्राम महतावास हाल तहसील मॉढण हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के बाबत के वाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एंव आराजी ख.नं. हाल 614, 650 वाके ग्राम महतावास के काश्तकार का नाम वाले कॉलम में अंकित वादी का नाम रामकुमार पुत्र छोटेलाल को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एंव इसके स्थान पर रामकवार पुत्र छोटेलाल दर्ज किये जाने एंव हाल ख.नं. 1333, 1338, 1339, 1473, 1474, 1475/1570, 1476, 1507, 1509, 1545, 1554, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 639, 893 वाके ग्राम महतावास हाल तह0 मॉढण के काश्तकार का नाम वाले कॉलम मे वादी का अंकित नाम रामकुवार पुत्र छोटन को हजफ किये जाने के ओदश दिये जाते है एंव इसके स्थान पर रामकुवार पुत्र छोटेलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावें।

उभयपक्षकारान खर्चा अपना– अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

13.07.2024

(पंकज बडगूजर)

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

जिला कोटपूतली–बहरोड(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

०१/०७/२०२४ आज प्रार्थना-पत्र धारा 152 जा.दी. पेश होकर बाद विधिवत सुनवाई स्वीकार होने पर उक्त पर्चा डिक्री के आदेश पैरा में अंकित रामकुवार पुत्र छोटेलाल के स्थान पर रामकंवार पुत्र छोटेलाल पढा जावे के आदेश दिये जाते हैं एवम् शेष पर्चा डिक्री पूर्ववत: यथावत रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)